

प्रति,

श्री अशोक गोस्वामी,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सिप्य,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या सं. 2 अजमेर रोड,
प्रति विद्यार्थी नई दिल्ली ।

दिनांक 17.07.1994

संख्या: दिनांक: 2 अक्टूबर, 1994

विषय:- इकायन नाम परिवर्तन करने की सीटों पर कक्षा नई दिल्ली में न
सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जो पत्र उन्हे का निदेश हुआ है कि उपरोक्त नाम
परिवर्तन करने की सीटों पर कक्षा नई दिल्ली में सम्बन्धित प्रदान दिने जाने में
इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यमान की संबंधित सीटों का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यमान की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा ।
- 3- विद्यमान में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए अंतरित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित विद्यमानों में विभिन्न
व्यक्तियों के लिए नियमित रूप से अतिरिक्त सीटें शिक्षा पायेगी ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से तब तक अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय
शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यमान की सम्बन्धित
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय फार दि इंडियन स्कूल
सर्टीफिकेट इकाय निम्नलिखित नई दिल्ली में प्राप्त होती है तो उस परीक्षा
परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता
तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शिक्षक एवं शिक्षण के कर्मचारियों की राशिय सदस्यता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित प्रोविसन मान्यता तथा अन्य
भरतों से क्या देखना तथा अन्य भरे नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
आवृत्तिय उत्पन्न माध्यमिक विद्यमानों के कर्मचारियों की अनुसूचित
सेवा नियमित का नाम उपलब्ध कराये जायेगे ।

(Shyamesh Kumar Sharma)
Principal
B.B.L. Public School
Alakhnath Road, Bareilly

For B.B.L. Public School, Bareilly
Sandeep
Hon. Manager

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रमाण/विद्यार्थियों में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिशर्त नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में किसी भी अग्रिम/अध्यापक या निपुण/संस्थाओं में नहीं की जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का पूछ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उचित अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। श्री ०६ नॉर्थमी।
उप सचिव ।

पत्र सं० 597511/15-7-1994 तद्विनिर्दिष्ट

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिबन्ध 1-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक उप शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, राज भूषण लाल पब्लिक स्कूल बरेली ।

आप से,

Sharma
। श्री ०६ नॉर्थमी।
उप सचिव ।

(Shyamesh Kumar Sharma)
Principal
B.B.L. Public School
Alakhnath Road, Bareilly

For B.B.L. Public School, Bareilly
Sachdev
Hony. Manager